# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2407/2011/भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या – 2408/2011/भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या – 2409/2011/भीलवाड़ा.

मैसर्स सुजुकी टैक्सटाईल्स लिमिटेड, मांडल, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

**एकलपीठ**

**श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री आर. एस. जैथलिया, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एस. राठौड़,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 02/01/2014**

## निर्णय

अपीलार्थी द्वारा ये तीनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 11, 12 व 143/वेट/10–11 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 18.8.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

इन तीनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु सदृश होने से तीनों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तिमाही के दौरान निर्यात किये गये माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल एवं पैकिंग मैटेरियल पर चुकाये गये वैट का आई.टी.सी. चाहा गया। इस पर सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की कर निर्धारण अवधि वर्ष 2009–10 की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तिमाही के कर निर्धारण हेतु जारी किये गये कारण बताओ नोटिसों की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं किसी के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरणों में एकतरफा कार्यवाही करते हुए पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश पारित किये जाकर अपीलार्थी द्वारा चाहे गये आई.टी.सी. में से आंशिक आई.टी.सी. स्वीकार करते हुए आंशिक आई.टी.सी. अस्वीकार किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

**लगातार.....2**

| अपील संख्या | कर निर्धारण आदेश दिनांक | कर निर्धारण अवधि | चाहा गया आई.टी.सी. | अस्वीकृत आई.टी.सी. |
|---|---|---|---|---|
| 2407/11 | 30.12.2009 | 1.7.2009 से 30.9.2009 | 3,83,941/— | 1,63,719/— |
| 2408/11 | 22.3.2010 | 1.10.2009 से 31.12.2009 | 3,83,941/— | 1,63,719/— |
| 2409/11 | 9.7.2010 | 1.1.2009 से 31.3.2010 | 3,83,941/— | 1,63,719/— |

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.8.2011 से अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि आलौच्य अवधियों में निर्यात के क्रम में निर्मित माल के विनिर्माण हेतु क्रय किये गये कर योग्य कच्चे माल व पैकिंग मैटेरियल पर चुकाये गये वैट का अपीलार्थी आई.टी.सी. पाने का अधिकारी है। अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी ने निर्यात में प्रयुक्त माल का अलग से लेखा संधारित किया है। ऐसा रेकॉर्ड अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी प्रस्तुत किया था। इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आई.टी.सी. अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों पर समुचित विचार किये बिना अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने में त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने देश के बाहर निर्यात किये गये कपड़े के विनिर्माण में प्रयुक्त कर योग्य माल धागे का अलग से वैट—7 के साथ पूर्ण विगत प्रस्तुत कर दी गयी थी। जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने विचारित नहीं किया है। अपीलार्थी के अनुसार निर्यात करमुक्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कर योग्य माल के लिये अलग से लेखे संधारित किये गये हैं, फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने निर्यात कपड़े के कच्चे माल में चुकाये गये आगत कर का प्रत्यार्पण अस्वीकार किया है, जिसे बिना रेकॉर्ड के जांच किये जाने के कारण विधिसम्मत नहीं कहा जा

लगातार.....3

सकता है। अपीलीय अधिकारी ने भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि कर विधिक भूल की है। अतः प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी की लेखा—पुस्तकों व प्रस्तुत वैट—7 की बाद जांच विधिसम्मत आदेश पारित करें।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार करते हुए तीनों प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

( जे. आर. लोहिया )
सदस्य
20/1/14